कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 09/07/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 08.07.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

<u>01 थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा 01 नफर फरार वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में में आज दिनांक 08.07.2025 को उ0नि0 हरीश चन्द्र सिंह मय पुलिस टीम थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा तलाश वारण्टी में मामूर होकर तलाश वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु अग्रवाल टोली में दबिश दी गयी तो फरार चल रहा अभियुक्त त्रिलाकीनाथ गुप्ता पुत्र स्व0 केशव प्रसाद गुप्ता निवासी छत्रधारी मोड़ वार्ड नं0-01 कस्बा व थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –</u>

1. त्रिलाकीनाथ गुप्ता पुत्र स्व0 केशव प्रसाद गुप्ता निवासी छत्रधारी मोड़ वार्ड नं0-01 कस्बा व थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर उम्र-55 वर्ष

<u>02. "श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा।"</u>

दिनांक 08.07.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना जमानिया जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0स0 - 155/2018 धारा 498 क, 304 ख भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3 एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त श्यामू पासवान पुत्र राजनरायन पासवान को धारा 304 ख भारतीय दण्ड संहिता में 10 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित, 498 क भारतीय दण्ड संहिता में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- अर्थदण्ड, 3 दहेज प्रतिशेध अधिनियम में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 15000/- अर्थदण्ड, 4 दहेज प्रतिशेध अधिनियम में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

03. "श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा ।"

दिनांक 08.07.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना सादात जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0स0 - 488/2006 धारा 436/34 भा0द0सं0 से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्ता सुमन बर्नवाल पत्नी आशीष बर्नवाल को धारा 436/34 भा0दं0सं0 में 03 वर्ष का कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर